कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 186/क0प्र0से0/अधो0औषधि/ पुश्कर /प्रतिबन्धन/2019–20 दिनांक– 20.08.19

कार्यालय आदेश

मेसर्स पुश्कर फार्मा भण्डारीवाला, खेरी, काला आम्ब–173 030, जिला सिरमौर, हि0प्र0 द्वारा निर्मित निम्नलिखित औषधियां उनके सम्मुख उल्लिखित राजकीय विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की रिपोर्ट द्वारा अधोमानक अथवा मिथ्याछाप घोषित की गयी हैं–

1. औषधि Ketoprofen Injection 30ml (Vet) (P-KROF) 3g, Batch No. VKTF-140A, M/D-06/2018, E/D-11/2019 के मिथ्याछाप पाये जाने सम्बन्धित राजकीय श्विलेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट संख्या–V/3136-18 दिनांक 15.12.2018 में "The sample does not meet the labelling requirement of Rule 97 of Drugs & Cosmetics Rule, 1945" पायी गयी।
2. औषधि Amoxycillin and Cloxacillin for Injection (Pemox-CX) 3g Batch No. VACO-162A, M/D-06/218, E/D-11/2019 के मिथ्याछाप पाये जाने सम्बन्धित राजकीय श्विलेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट संख्या–V/3038-18 दिनांक 17.12.2018 में " The Sample does not meet the labelling requirement of Rule 97 of Drugs and Cosmetics Rule, 1945 " पायी गयी।

इस कार्यालय के पत्र सं0 80 एवं 81/क.प्र.से/टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औषधि /2018–19 दिनांक 28.06.2019 के कम में आपने अपने पत्र संख्या पीपी/2019–20 दिनांक 18.07.2019 में जो स्पष्टीकरण दिया उससे सम्बन्धित तथ्यपरक प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आपके स्पष्टीकरण दिनांक18.07.2019 को अस्वीकार करते हुए सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त परिस्थितियों में निविदा वर्ष 2018–19 की शर्त **Section II: CONDITIONS OF CONTRRACT, Clause 6. Inspection & Tests** : sub clause 6.2 के बिन्दु सी "...If firm again supplies sub-standard drug, the firm will be banned for one year to participate in departmental tender..." के परिपेक्ष्य में 01 वर्ष हेतु फर्म के प्रतिबन्धन के प्राविधान के दृष्टिगत एवं निविदा की शर्तो एवं अनुबन्ध का समुचित अनुपालन न किए जाने के कारण फर्म को तत्काल प्रभाव से आगामी 01 (एक) वर्ष के लिए पशुपालन विभाग, उ0प्र0 से व्यापार हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। साथ ही फर्म को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधोमानक/मिसब्राण्डेड आपूर्तित औषधि के सापेक्ष इस विभाग से प्राप्त किए गए भुगतान के सापेक्ष धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में तत्काल वापस कर दें अन्यथा धन की वसूली भूराजस्व के रूप में किए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एव प्रक्षेत्र

संख्या /क0प्र0से0/अधो0औषधि/ पुश्कर /प्रतिबन्धन/2019–20 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. **मेसर्स पुश्कर फार्मा भण्डारीवाला, खेरी, काला आम्ब–173 030, जिला सिरमौर, हि0प्र0 email: pushkarpharma@gmail.com**
2. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–1, मण्डल, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त गायनॉकोलाजिस्ट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. परियोजना निदेशक, बुहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
6. परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र– बाबूगढ़ (गाजियाबाद)/ निबलेट (बाराबंकी)/चकगंजरिया (रहमानखेड़ा, लखनऊ)/मझरा (लखीमपुरखीरी)।
7. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, उ0प्र0।
8. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, रोग नियन्त्रण/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट/संयुक्त निदेशक, इपीडी मुख्यालय।
10. अपर निदेशक, गोधन विकास, अपर निदेशक, कुक्कुट, अपर निदेशक, लघु पशु मुख्यालय।
11. अपर निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, अपलिस, लखनऊ।
13. वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,उ0प्र0, सेक्टर सी, अलीगंज,लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
16. कम्प्यूटर सुपरवाइज, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

ईमेल/पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में

~~1- M/s Safecon Life sciences,~~
Works at MPPI, Vill- Lalpur-263148,
Udham Singh Nagar (Uttarakhand)

2- M/s Safecon Life sciences,
25-B, Basat Vihar, Kamla Nagar,
Agra-282005.

पत्रांक 187/क0प्र0से0/टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औष0/(सेफकान)/2019–20 दिनांक– 26.08.19

विषय–मिथ्याछाप औषधि आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 79/क0प्र0से0/अधो0 औष0/(सेफकान)/2019–20 दिनांक–28.06.2019 के कम में आज तक आपका कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त निविदा वर्ष 2018–19 की शर्त Section II: CONDITIONS OF CONTRRACT, Clause **6. Inspection & Tests: . 6.2-** C-Miss-branded : Drugs supplied to the department, declared Miss-branded by the competent authority, utilization of Miss-branded drugs will be stopped with immediate effect, and if drugs are consumed, amount of consumed drug will be returned to the department. And if sub-standard drugs are consumed wholly, amount of whole consumed drug will be returned to the department by the firm.. If drugs are not consumed wholly, unconsumed drugs will be replaced with fresh stock/ batch by the firm at its own cost to the department. Amount of wholly/partly sub-standard batches will be returned to the department without delay otherwise performance security deposited to the department, will be forfeited. After that, if any amount remains, it will be recovered as Land Revenue. **Participation of firm's Sub-standard drug will be banned in departmental tender for one year**. If firm again supplies sub-standard drug, the firm will be banned for one year to participate in departmental tender. In case of repetition of sub-standard drug the firm will be banned for next three years." के परिपेक्ष्य में उपरोक्त प्रस्तर सी के अंश Participation of firm's Sub-standard drug will be banned in departmental tender for one year के कम में Albendazole IP Powder (ALBASAFE) 300 gm को आगामी 01 वर्ष के लिए पशुपालन विभाग, उ0प्र0 से व्यापार हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत औषधि की संदर्भित बैच की विभाग में आपूर्तित कुल मात्रा के सापेक्ष विभाग से प्राप्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय नेशनलाइज्ड बैंक के डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय को तत्काल वापस करें अन्यथा नियमानुसार/भूराजस्व की भॉति वसूली की जाएगी।

भवदीय,

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक /क0प्र0से0/टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औष0/(सेफकान)/2019–20 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–1, मण्डल, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त गायनॉकोलाजिस्ट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, बुहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
5. परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र– बाबूगढ़ (गाजियाबाद)/ निबलेट (बाराबंकी) चकगंजरिया (रहमानखेड़ा, लखनऊ)/मझरा (लखीमपुरखीरी)।
6. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र,उ0प्र0।
7. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक, रोग नियन्त्रण/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट/संयुक्त निदेशक, इपीडी मुख्यालय।
9. अपर निदेशक, गोधन विकास, अपर निदेशक, कुक्कुट, अपर निदेशक, लघु पशु मुख्यालय।
10. अपर निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
12. वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,उ0प्र0, सेक्टर सी, अलीगंज,लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
15. कम्प्यूटर सुपरवाइज, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

ईमेल / पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में

M/s Siflon Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,
Plot No. 20 & 21, Aleap Industrial Estate, Gajularamram,
Vill. Qutahbullapur Mandal Rangareddy,
Distt. Hyderabad-500 055.
email: siflonpharma@rediffmail.com

पत्रांक / 88 / क0प्र0से0 / टेस्ट रिपोर्ट / अधो0औष0 / (सिफलान) / 2019–20 दिनांक– 20.08.19

विषय–मिथ्याछाप औषधि आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 115 / / क0प्र0से0 / टेस्ट रिपोर्ट / अधो0 औष0 / (सिफलान) / 2019–20 दिनांक–22.02.2019 के क्रम में प्राप्त आपके स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण दिनांक 27.07.2019 पर सम्यक विचारोपरान्त निविदा वर्ष 2018–19 की शर्त Section II: CONDITIONS OF CONTRRACT, Clause **6. Inspection & Tests: . 6.2-** C-Miss-branded : Drugs supplied to the department, declared Miss-branded by the competent authority, utilization of Miss-branded drugs will be stopped with immediate effect, and if drugs are consumed, amount of consumed drug will be returned to the department. And if sub-standard drugs are consumed wholly, amount of whole consumed drug will be returned to the department by the firm.. If drugs are not consumed wholly, unconsumed drugs will be replaced with fresh stock/ batch by the firm at its own cost to the department. Amount of wholly/partly sub-standard batches will be returned to the department without delay otherwise performance security deposited to the department, will be forfeited. After that, if any amount remains, it will be recovered as Land Revenue. **Participation of firm's Sub-standard drug will be banned in departmental tender for one year**. If firm again supplies sub-standard drug, the firm will be banned for one year to participate in departmental tender. In case of repetition of sub-standard drug the firm will be banned for next three years." के परिपेक्ष्य में उपरोक्त प्रस्तर सी के अंश Participation of firm's Sub-standard drug will be banned in departmental tender for one year के क्रम में Trimethoprim & Sulphadiazine Tablets (Vet) [SIFZINE-T] को आगामी 01 वर्ष के लिए पशुपालन विभाग, उ0प्र0 से व्यापार हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत औषधि की संदर्भित बैच की विभाग में आपूर्तित कुल मात्रा के सापेक्ष विभाग से प्राप्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय नेशनलाइज्ड बैंक के डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय को तत्काल वापस करें अन्यथा नियमानुसार / भूराजस्व की भाँति वसूली की जाएगी।

भवदीय,

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक / 88 / क0प्र0से0 / टेस्ट रिपोर्ट / अधो0औष0 / (सिफलान) / 2019–20 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–1, मण्डल, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त गायनॉकोलाजिस्ट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
5. परियोजना निदेशक / संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र–बाबूगढ़ (गाजियाबाद) / निबलेट (बाराबंकी) / चकगंजरिया (रहमानखेड़ा, लखनऊ) / मझरा (लखीमपुरखीरी)।
6. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ / समस्त क्षेत्र अधीक्षक / प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र,उ0प्र0।
7. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक, रोग नियन्त्रण / संयुक्त निदेशक, कुक्कुट / संयुक्त निदेशक, इपीडी मुख्यालय।
9. अपर निदेशक, गोधन विकास, अपर निदेशक, कुक्कुट, अपर निदेशक, लघु पशु मुख्यालय।
10. अपर निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
12. वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,उ0प्र0, सेक्टर सी, अलीगंज,लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
15. कम्प्यूटर सुपरवाइज, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 189/क0प्र0से0/अधो0औषधि/ वीएडीएसपी /प्रतिबन्धन/2019–20 दिनांक– 20.08.19

कार्यालय आदेश

मे0वी0ए0डी0एस0पी0, (फार्मर्ली नोन एज यूनिसान फार्मासियूटिकल्स), प्लाट नं0 124, ईपीआईपी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, झारमाजरी, बड्डी (हि0प्र0)–174103 द्वारा निर्मित निम्नलिखित औषधियां उनके सम्मुख उल्लिखित राजकीय विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की रिपोर्ट द्वारा अधोमानक अथवा मिथ्याछाप घोषित की गयी हैं–

1. औषधि Dexamethasone Sodium Phosphate injection (U-DECA) Lot No. UDC-3338, M/D 01/16, E/D 12/17 के अधोमानक पाये जाने सम्बन्धित राजकीय श्विलेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट संख्या–V/2030-16 दिनांक 17.08.2016 में "Not of standard quality, in respect of particulate matter and clarity" पायी गयी।
2. औषधि Chlorpheniramine Malieate Injection (Uramine)-30ml, Batch No. URM-3610, M/D 02/18, E/D 01/2020 के अधोमानक पाये जाने सम्बन्धित राजकीय श्विलेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट संख्या–V/811 दिनांक 27.03.2019 में Not of standard quality: The sample doses not conform to standard, in respect of particulate matter " पायी गयी।

यद्यपि इस कार्यालय के पत्र सं0 723/क.प्र.से/ अधो0औषधि/यूनिसान–वीएडीएसपी/2018–19 दिनांक 15.03.2019 के क्रम में आपने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 05.04.2019 एवं शपथप दिनांक 04.04.2019 द्वारा गुणवत्तायुक्त औषधियों की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया था। फिर भी औषधि Chlorpheniramine Malieate Injection (Uramine)-30ml, Batch No. URM-3610, M/D 02/18, E/D 01/2020 के अधोमानक पाये जाने सम्बन्धित राजकीय श्विलेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट संख्या-V/811 दिनांक 27.03.2019 में Not of standard quality: The sample doses not conform to standard, in respect of particulate matter." पायी गयी।

इस कार्यालय के पत्र सं0 49/क.प्र.से/ अधो0औषधि/यूनिसान–वीएडीएसपी/2018–19 दिनांक के क्रम में आपने अपने पत्र दिनांक 31.7.2019 द्वारा दूसरी अधोमानक औषधि Chlorpheniramine Malieate Injection (Uramine)-30ml, Batch No. URM-3610, M/D 02/18, E/D 01/2020 के सम्बन्ध में भी गुणवत्त की बचनवद्धता के साथ साथ आपूर्तित अधोमानक औषधि के सापेक्ष रू0 52212.00 का डीडी इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए भविष्य में विभाग के साथ कार्य करने का अनुरोध किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त परिस्थितियों में निविदा वर्ष 2018–19 की शर्त **Section II: CONDITIONS OF CONTRRACT, Clause 6. Inspection & Tests : sub clause 6.2** के बिन्दु बी **"Other drug(s) of the same firm found to be sub-standard in next year; firm will be banned to do business in the department for two years."** के परिपेक्ष्य में 02 वर्ष हेतु फर्म के प्रतिबन्धन के प्राविधान के दृष्टिगत एवं निविदा की शर्तो एवं अनुबन्ध का समुचित अनुपालन न किए जाने के कारण फर्म को तत्काल प्रभाव से आगामी 02 (दो) वर्ष के लिए पशुपालन विभाग, उ0प्र0 से व्यापार हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। साथ ही फर्म को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधोमानक/मिसब्राण्डेड आपूर्तित औषधि के सापेक्ष इस विभाग से प्राप्त किए गए भुगतान के सापेक्ष यदि कोई धनराशि वापस करनी अवशेष हो तो उसको निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में तत्काल वापस कर दें अन्यथा धन की वसूली भूराजस्व के रूप में किए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

संख्या /क0प्र0से0/अधो0औषधि/वीएडीएसपी/प्रतिबन्धन/2019–20 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. **मे0वी0ए0डी0एस0पी0, (फार्मर्ली नोन एज यूनिसान फार्मासियूटिकल्स), प्लाट नं0 124, ईपीआईपी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, झारमाजरी, बड्डी (हि0प्र0)–174103 email: vadspdrugs_1988@yahoo.com, anand.uppal@gmail.com**
2. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–1, मण्डल, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त गायनॉकोलाजिस्ट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. परियोजना निदेशक, बुहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
6. परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र– बाबूगढ़ (गाजियाबाद)/ निबलेट (बाराबंकी)/चकगंजरिया (रहमानखेड़ा, लखनऊ)/मझरा (लखीमपुरखीरी)।
7. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र,उ0प्र0।
8. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, रोग नियन्त्रण/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट/संयुक्त निदेशक, इपीडी मुख्यालय।
10. अपर निदेशक, गोधन विकास, अपर निदेशक, कुक्कुट, अपर निदेशक, लघु पशु मुख्यालय।
11. अपर निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, अपलिस, लखनऊ।
13. वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,उ0प्र0, सेक्टर सी, अलीगंज,लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
16. कम्प्यूटर सुपरवाइज, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

स्पीड पोस्ट/ईमेल

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

M/s Radico Remedies 123,
Mandhwala, Barotiwala
Distt-Solan (H.P.)-174103
email: vikramsawhneychd@gmail.com

पत्रांक 129/क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक– 25.07.19

विषय– **Test Report No. V/60-18 dt. 22.02.2018 of Govt. Analyst, U.P., Lucknow के कम में विभाग में आपूर्तित अधोमानक (Not of Standard Quality-The sample idoes not conform to standard, in respect of Disintegration) औषधि Fenbendazole and Invermectin Bolus (BIMINTH-F), Batch No. UPVT-02, M/D-02/2017, E/D-01//2019 Manufactured by M/s Radico Remidies, Works 123, Mandhala, Brotivala, Baddi, Distt. Solan (HP) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 588/क0प्र0से0/रेडिको / अधोमानक औषधि(16–17)/2018–19 दिनांक 07.02.2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा अन्तिम नोटिस देते हुए उपरोक्त प्रकरण में आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इससे पूर्व आपको इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों/अनुस्मारकों यथा पत्रांक 61/क0प्र0से0/रेडिको / अधोमानक औषधि(16–17)/2018–19 दिनांक 11.05.2019, पत्रांक 74/क0प्र0से0/रेडिको / अधोमानक औषधि(16–17)/ 2018–19 दिनांक 24.05.2018, अनुस्मारक पत्र सं0 246/क0प्र0से0/रेडिको / अधोमानक औषधि(16–17)/2018–19 दिनांक 27.08.2018 एवं अनुस्मानक पत्र संख्या 407/क0प्र0से0/रेडिको / अधोमानक औषधि(16–17)/ 2018–19 दिनांक 11.10.2018 द्वारा भी आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। आप द्वारा इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 246/क0प्र0से0/रेडिको / अधोमानक औषधि(16–17)/2018–19 दिनांक 27.08.2018 के कम में पत्र दिनांक 07.09.2018 द्वारा प्रेषित उत्तर तथ्यपरक न होने के कारण अनुस्मारक दिनांक 11.10.2018 एवं अनुस्मारक दिनांक 07.02.2019 द्वारा वांछित स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

अतः उपरोक्तानुसार पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी आप द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कोई तथ्यपरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आप द्वारा अधोमानक औषधि आपूर्ति किए जाने के कारण आपकी फर्म की प्रश्नगत औषधि **Fenbendazole and Invermectin Bolus (BIMINTH-F)** को तत्काल प्रभाव से आगामी 02 वर्षों के लिए पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश में कय हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है और आपको यह भी सचेत किया जाता है कि यदि आपकी फर्म की कोई अन्य औषधि आगामी वर्ष में अधोमानक पायी जाती है तो फर्म को 02 वर्ष के लिए विभागीय कय हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत औषधि की संदर्भित बैच की विभाग में आपूर्तित कुल मात्रा के सापेक्ष विभाग से प्राप्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय नेशनलाइज्ड बैंक के डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय को तत्काल वापस करें अन्यथा नियमानुसार/भूराजस्व की भाँति वसूली की जाएगी।

भवदीय,

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

पत्रांक /क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त अपर निदेशक–।।, पशुपालन विभाग, मंडल, उ0प्र0।
3. समस्त गायनाकालोजिस्ट, स्टरलिटी यूनिट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
5. परि0निदे0/सयुंक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, गाजियाबाद/निबलेट बाराबंकी/चकगंजरिया(रहमानखेड़ा) –लखनऊ/मझरा–खीरी।
6. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक,राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, उ0प्र0।
7. उप निदेशक, लघु पशु, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. ~~समस्त सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय~~
9. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण /संयुक्त निदेशक,कुक्कुट/संयुक्त निदेशक, ईपीडी/ अपर निदेशक, गोधन विकास, मुख्यालय तथा अपर निदेशक,बी0पी0 संस्थान, पशुपालन विभाग,लखनऊ।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

स्पीड पोस्ट/ईमेल

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

M/s Nandini Medical Laboratories Pvt. Ltd.,
221/5, Bicholi Hapsi, Kanadia Road, Indore-452 016
e mail- nandanimedicallab@yahoo.co.in
Fax No. 0731-2972486,

पत्रांक 130/क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक– 25.07.19

विषय– Test Report No. R/2283-16 dt. 30.09.2016 of Govt. Analyst, U.P., Lucknow) के कम में विभाग में आपूर्तित अधोमानक (Not of Standard Quality-The sample does not meets the requirements of particulate matter) औषधि Inj. Paracetomol 150mg/ml (Nandimol 150 Inj.), Batch No. NM3514, M/D-10/2015, E/D-09//2017 Manufactured by M/s Nandini Medical Laboratories Pvt., Ltd., Indore के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 589/क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक 07.02.2019 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा अन्तिम नोटिस देते हुए उपरोक्त प्रकरण में आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इससे पूर्व आपको इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों/अनुस्मारकों यथा पत्रांक 104//क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक 25.05.2017, पत्रांक 302/क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी /16–17 दिनांक 02.08.2017 एवं अनुस्मानक पत्र संख्या 398/क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक 08.10.2018 द्वारा भी आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। आप द्वारा अन्तिम नोटिस पत्र संख्या 589/क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक 07.02.2019 के कम में भी आज तक कोई उत्तर इस कार्यालय को नहीं प्रेषित किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी आप द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कोई तथ्यपरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आप द्वारा अधोमानक औषधि आपूर्ति किए जाने के कारण आपकी फर्म की प्रश्नगत औषधि Inj. Paracetomol 150mg/ml (Nandimol 150 Inj.) को तत्काल प्रभाव से आगामी 02 वर्षों के लिए पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश में कय हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है और आपको यह भी सचेत किया जाता है कि यदि आपकी फर्म की कोई अन्य औषधि आगामी वर्ष में अधोमानक पायी जाती है तो फर्म को 02 वर्ष के लिए विभागीय कय हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत औषधि की संदर्भित बैच की विभाग में आपूर्तित कुल मात्रा के सापेक्ष विभाग से प्राप्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय नेशनलाइज्ड बैंक के डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में इस कार्यालय को तत्काल वापस करें अन्यथा नियमानुसार/भूराजस्व की भाँति वसूली की जाएगी।

भवदीय,

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

पत्रांक /क0प्र0से0/अधोमानक/नन्दिनी/16–17 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त अपर निदेशक–II, पशुपालन विभाग, मंडल, उ0प्र0।
3. समस्त गायनाकालोजिस्ट, स्टरलिटी यूनिट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
5. परि0निदे0/सयुंक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, गाजियाबाद/निबलेट बाराबंकी/चकगंजरिया(रहमानखेड़ा)–लखनऊ/मझरा–खीरी।
6. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक,राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, उ0प्र0।
7. उप निदेशक, लघु पशु, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय
10. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण /संयुक्त निदेशक,कुक्कुट/संयुक्त निदेशक, ईपीडी/ अपर निदेशक, गोधन विकास, मुख्यालय तथा अपर निदेशक,बी0पी0 संस्थान, पशुपालन विभाग,लखनऊ।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 132/क0प्र0से0/अधो0औषधि/पोद्दार/प्रतिबन्धन/2019–20 दिनांक– 29.07.19

कार्यालय आदेश

मेसर्स पद्मजा लेबोरेटरीज प्रा0 लि0, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चिनौतापल्ली–521 286, गन्नावरम मण्डल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ए.पी. द्वारा निर्मित निम्नलिखित औषधियां उनके सम्मुख उल्लिखित राजकीय विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की रिपोर्ट द्वारा अधोमानक अथवा मिथ्याछाप घोषित की गयी हैं–

1. औषधि Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-4315, M/D-03/2015, E/D-02/2017 के sample Misbranded in respect of labelling (अधोमानक) पाये जाने की राजकीय विश्लेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6056–15 दिनांक 29.12.2015
2. औषधि Oxyclozanide Bulus (Floxide-DS) batch no. FD-4315, M/D-03/2015, E/D-02/2017 के sample Misbranded in respect of labelling (अधोमानक) पाये जाने की राजकीय विश्लेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6057–15 दिनांक 15.12.2015
3. औषधि Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-0216, M/D-2/2016, E/D-01/2018, के The sample does not meet the requirement of labelling पाये जाने की राजकीय विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्टों टेस्ट रिपोर्ट नं0 आर/2160–16 दिनांक 27.12.2016

फर्म को इस कार्यालय के पत्र पृष्ठांकन संख्या 301/क0प्र0से0/अधोमानक/पद्मजा/17–18 दिनांक 02.08.2017 द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 2 पर उल्लिखित औषधियों के अधोमानक पाये जाने की सूचना देते हुए साक्ष्या सहित उत्तर एक सप्ताह के अन्दर मॉगा गया था तथा मु0प0चि0अ0 हाथरस से उपरोक्त औषधियों के अधोमानयक पाये जाने से सम्बन्धित तीनो टेस्ट रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रतियां मांगी गयी थीं। मु0प0चि0अ0 हाथरस ने अपने पत्रांक 922 दिनांक 22.08.2017 द्वारा 02 टेस्ट रिपोर्ट नं0 आर/2160–16 दिनांक 27.12.2016 Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-0216, M/D-2/2016, E/D-01/2018 तथा टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6057–15 दिनांक 15.12.2015 Oxyclozanide Bulus (Floxide-DS) batch no. FD-4315, M/D-03/2015, E/D-02/2017 की छाया प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किया। एक अन्य टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6056–15 दिनांक 29.12.2015 Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-4315, M/D-03/2015, E/D-02/2017 भी मु0प0चि0अ0 के पत्र सं0 776/जनसूचना अधिकार/2017–18 दिनांक 11.7.2017 के संलग्नक के रूप में प्राप्त हुयी थी।

अतः कार्यालय के अनुस्मानक पत्रांक 399/क0प्र0से0/अधोमानक/ पद्मजा/17–18 दिनांक 08.10.2018 द्वारा फर्म को पुनः यह सूचित किया गया था कि उनके द्वारा निर्मित औषधियां टेस्ट रिपोर्ट नं0 आर/2160–16 दिनांक 27.12.2016 Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-0216, M/D-2/2016, E/D-01/2018 (The sample does not meet the requirement of labelling) तथा टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6057–15 दिनांक 15.12.2015 Oxyclozanide Bulus (Floxide-DS) batch no. FD-4315, M/D-03/2015, E/D-02/2017 (NSQ-in respect of labelling) एवं टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6056–15 दिनांक 29.12.2015 Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-4315, M/D-03/2015, E/D-02/2017 (NSQ-in respect of labelling) पाये जाने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रेषित करें। जिसके क्रम में फर्म से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2018 तथ्यहीन पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म की दो औषधियां की क्रमशः तीन टेस्ट रिपोर्टो टेस्ट रिपोर्ट नं0 आर/2160–16 दिनांक 27.12.2016 Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-0216, M/D-2/2016, E/D-01/2018 (The sample does not meet the requirement of labelling), टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6057–15 दिनांक 15.12.2015 Oxyclozanide Bulus (Floxide-DS) batch no. FD-4315,

M/D-03/2015, E/D-02/2017 (NSQ-in respect of labelling) एवं टेस्ट रिपोर्ट नं0 डी/6056–15 दिनांक 29.12.2015 Closental Bolus Vet (Picto-vet Bolus) Batch no. PC-4315, M/D-03/2015, E/D-02/2017 (NSQ-in respect of labelling) पाये जाने के सम्बन्ध में तथ्यपरक स्पष्टीकरण फर्म द्वारा नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अधोमानक/मिसब्राण्डेड औषधि आपूर्ति किए जाने, निविदा /अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण मेसर्स पद्मजा लेबोरेटरीज प्रा0लि0, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चिनौतापल्ली, गन्नावरम मण्डल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ए0पी0को तत्काल प्रभाव से एक (01) वर्ष के लिए पशुपालन विभाग से व्यापार हेतु/विभागीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है तथा नियमानुसार फ़र्म को उपरोक्त अधोमानक/मिसब्राण्डेड औषधियों के सापेक्ष विभाग से प्राप्त की गयी धनराशि पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में वापस करने के निर्देश दिए जाते हैं। यदि फर्म द्वारा वांछित धनराशि वापस नहीं की जाती है तो धन की वसूली भू–राजस्व के रूप में की जाएगी।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

संख्या/ 32 /क0प्र0से0/अधो0औषधि/पोद्दार/प्रतिबन्धन/2019–20 दिनांक– 29.07.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. **मेसर्स पद्मजा लेबोरेटरीज प्रा0 लि0, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चिनौतापल्ली–521 286, गन्नावरम मण्डल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ए.पी** **email: padmajalabs_vja@reduffmail.com**
2. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–1, मण्डल, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त गायनॉकोलाजिस्ट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. परियोजना निदेशक, बुहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
6. परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र– बाबूगढ़ (गाजियाबाद)/ निबलेट (बाराबंकी)/चकगंजरिया (रहमानखेड़ा, लखनऊ)/मझरा (लखीमपुरखीरी)।
7. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र,उ0प्र0।
8. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, रोग नियन्त्रण/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट/संयुक्त निदेशक, इपीडी मुख्यालय।
10. अपर निदेशक, गोधन विकास, अपर निदेशक, कुक्कुट, अपर निदेशक, लघु पशु मुख्यालय।
11. अपर निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, अपलिस, लखनऊ।
13. वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 133/क0प्र0से0/अधो0औषधि/पोद्दार/प्रतिबन्धन/2019-20 दिनांक-29.07.19

कार्यालय आदेश

मेसर्स पोद्दार फार्मासियूटिकल्स प्रा0 लि0, ई-35, इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार द्वारा निर्मित निम्नलिखित औषधियां उनके सम्मुख उल्लिखित राजकीय विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की रिपोर्ट द्वारा अधोमानक अथवा मिथ्याछाप घोषित की गयी हैं-

1. औषधि Triclabendazole & Albendazole Bolus(Triclazol) batch no. TW-46, M/D-03/2015 E/D-02/2017 राजकीय विश्लेषक, उ0प्र0, लखनऊ की टेस्ट रिपोर्ट संख्या डी/2173-15 दिनांक 20.08.2015 द्वारा Not of Standard Quality "The sample is not of standard quality in respect of disintegration" पायी गयी।
2. औषधि FENVET-L(Fenbendazole & Levamisole Bolus) Batch no. TW- 69, M/D-03/2015, E/D-03/2017 राजकीय विश्लेषक, उ0प्र0 की टेस्ट रिर्पोट सं0 सं0 डी/1844-15 दिनांक 16.09.2015 द्वारा Not of Standard Quality "The sample is not of standard quality in respect of disintegration" पायी गयी।
3. औषधि Halquinol Bolus 1.5 gm. Batch no. TW-63, M/D-03/2015, E/D- 03/2017 राजकीय विश्लेषक, उ0प्र0 की Test Report no. D/6060-15 dt. 15.12.15 द्वारा Not of Standard Quality "The sample is not of standard quality in respect of disintegration" पायी गयी।

इस कार्यालय के पत्र सं0 152/क.प्र.से/टेस्ट रिर्पोट/अधो0औषधि/2015-16 दिनांक 16.09.15 द्वारा अधोमानक औषधि Triclabendazole & Albendazole Bolus(Triclazol) batch no. TW-46, M/D-03/2015 E/D-02/2017 एवं पत्र सं0 172/क.प्र.से/टेस्ट रिर्पोट/अधो0औषधि /2015-16 दिनांक 09.10.2015 FENVET-L(Fenbendazole & Levamisole Bolus) Batch no. TW- 69, M/D-03/2015, E/D-03/2017के सम्बन्ध में मेसर्स पोद्दार फार्मास्युटिकल्स प्रा0लि0 को नोटिस निर्गत करते हुए संदर्भित रिपोर्ट्स के कम में औषधियों के अधोमानक होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण मांगा गया था।

इस कार्यालय के पत्र सं0 152/क.प्र.से/टेस्ट रिर्पोट/अधो0औषधि/2015-16 दिनांक 16.09.15 के कम में फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक-16.10.2015 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया कि उक्त रिपोर्ट उन्हे मान्य नही है और सूचित किया कि वे औषधि प्रशासन विभाग से उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये टेस्ट प्रोटोकाल के आधार पर टेस्ट रिपोर्ट आने के पश्चात नियमानुसार चैलेज करेगें। फर्म द्वारा पुनः पत्र दिनांक-16.12.2015 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा टेस्ट रिपोर्ट को सीडीएल कलकत्ता में चेलेज किये जाने की इच्छा है। अतः फर्म द्वारा उक्त नोटिस के कम में तत्समय कार्यवाही न किए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-834/क.प्र.से./टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औषधि/2015-16, दिनांक-30.12.2015 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

फर्म की अधोमानक दूसरी औषधि FENVET-L(Fenbendazole & Levamisole Bolus) Batch no. TW- 69, M/D-03/2015, E/D-03/2017 से सम्बंधित राजकीय विश्लेषक, उ0प्र0 की कमशः टेस्ट रिर्पोट सं0 डी/2173-15 दिनांक 20.08.2015 एवं टेस्ट रिपोर्ट सं0 डी/1844-15 दिनांक 16.09.2015 के सम्बन्ध में मेसर्स पोददार फार्मासियूटिकल्स प्रा0लि0 को पत्र सं0 172/क.प्र.से/टेस्ट रिर्पोट/अधो0औषधि /2015-16 दिनांक 09.10.2015 द्वारा नोटिस जारी कर उक्त टेस्ट रिपोर्ट के कम में अधोमानक घोषित औषधियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया। फर्म द्वारा अपने पत्रांक-दिनांक-22.01.2016 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि उनके द्वारा टेस्ट रिपोर्ट रिवाइज्ड करने का अनुरोध किया गया है।

फर्म की अधोमानक तीसरी औषधि Halquinol Bolus 1.5 gm. Batch no. TW-63, M/D-03/2015, E/D- 03/2017 (Test Report no. D/6060-15 dt. 15.12.15) के सम्बन्ध में फर्म ने अपने पत्र दिनांक 13.06.2016 के माध्यम से इस कार्यालय के पत्र सं0 46/क.प्र.से/टेस्ट रिर्पोट/अधो0 औषधि/15-16 दिनांक 17.05.2016 द्वारा अधोमानक सूचित औषधि के सम्बंध मे भी रीवाईज्ड टेस्ट रिर्पोट भेजने हेतु औषधि नियंत्रक से अनुरोध किये जाने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्धा करायी गयी।

परन्तु बार-बार इस कार्यालय के निर्देश के उपरान्त भी फर्म द्वारा उपरोक्त अधोमानक औशधियों के सम्बन्ध में कोई रिवाइज्ड टेस्ट रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

फर्म को इस कार्यालय के पत्र संख्या 350/क0प्र0स0/टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औषधि/2017-18 04.08.2017, पत्र संख्या 454/क0प्र0स0/टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औषधि/रिकवरी/ 2017-18 दिनांक-18.09.2017 एवं पत्र (अनुस्मारक-3) संख्या 435/क0प्र0से0/टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औषधि/2017-18 दिनांक 24.10.2018 (अन्तिम नोटिस) के उपरान्त पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पर भी न

तो फर्म ने उपरोक्त वर्णित तीनो औषधियों की राजकीय विश्लेषक उ0प्र0 की रीवाईज्ड टेस्ट रिर्पोट और न ही सी0डी0एल0 कलकत्ता की टेस्ट रिर्पोट इस कार्यालय को उपलब्ध कराई है, अपितु तथ्यहीन प्रत्यावेदनों के द्वारा प्रकरण को लम्बित रखने एवं कार्यवाही से बचने हेतु निराधार तथ्यों का उल्लेख करते हुए गुमराह करने का प्रयास किया है जिसके कारण विभाग के उच्चाधिकारियों को उच्च स्तर पर भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त प्रकरण के लम्बित रहते ही राजकीय विश्लेषक, उ0प्र0, लखनऊ की जॉच रिपोर्ट संख्या वी/3172–18 दिनांक 08.01.2019 द्वारा औषधि Kit of Clomifene Citrate and copper sulphate (Clohneate Kit) batch no. TD14 & TD15, M/D-07/2018 E/D-02/2017 मिथ्याछाप (Misbranded-The sample does not meet the labelling requirement of Rule 97 of Drugs and Cosmetics Rule 1945) सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुयी है जिसके सम्बन्ध में फर्म को प्रेषित पत्र सं0 681/क0प्र0से0/अधो0औष0/2018–19 दिनांक 14.03.2019 के उत्तर में प्राप्त फर्म के प्रत्यावेदन दिनांक 15.03.2019 को तथ्यपरक न मानते हुए पत्रांक 77/क0प्र0से0/ टेस्ट रिपोर्ट/अधो0औषधि/2018–19 दिनांक 28.06.2019 द्वारा साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण मॉगा गया था, जो अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में निविदा वर्ष 2018–19 की शर्त Section II: CONDITIONS OF CONTRRACT, Clause 6. Inspection & Tests : sub clause 6.2 के बिन्दु बी "Other drug(s) of the same firm found to be sub-standard in next year; firm will be banned to do business in the department for two years." के परिपेक्ष्य में 02 वर्ष हेतु फर्म के प्रतिबन्धन के प्राविधान के दृष्टिगत एवं निविदा की शर्तों एवं अनुबन्ध का समुचित अनुपालन न किए जाने के कारण फर्म को तत्काल प्रभाव से आगामी 02 (दो) वर्ष के लिए पशुपालन विभाग, उ0प्र0 से व्यापार हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। साथ ही फर्म को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधोमानक/मिसब्राण्डेड आपूर्तित औषधि के सापेक्ष इस विभाग से प्राप्त किए गए भुगतान को निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में तत्काल वापस कर दें अन्यथा धन की वसूली भूराजस्व के रूप में किए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

संख्या/ 37 /क0प्र0से0/अधो0औषधि/पोद्दार/प्रतिबन्धन/2019–20 दिनांक–29.07.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. **मे0पोद्दार फार्मासियूटिकल्स प्रा0 लि0, ई–35,इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401** email:vkjainpoddar@gmal.com
2. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–1, मण्डल, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त गायनॉकोलाजिस्ट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
6. परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र– बाबूगढ़ (गाजियाबाद)/ निबलेट (बाराबंकी)/चकगंजरिया (रहमानखेड़ा, लखनऊ)/मझरा (लखीमपुरखीरी)।
7. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र,उ0प्र0।
8. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, रोग नियन्त्रण/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट/संयुक्त निदेशक, इपीडी मुख्यालय।
10. अपर निदेशक, गोधन विकास, अपर निदेशक, कुक्कुट, अपर निदेशक, लघु पशु मुख्यालय।
11. अपर निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, अपलिस, लखनऊ।
13. वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र